

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप (कृपया दिये गये प्रारूप में कोड,नाम आवश्यक रूप से भर, तथा एक पत्रक पर एक ही योजना भरें) (पत्रक भरने संबंधित संलग्न नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ें)

Data Entry

Column

सिर्फ न्युमेरिक

नम्बर भरें

1.1	बजट शाखा	
1.2	सहायक कोड	
2.	विभाग कोड तथा नाम	
3.	बजट प्रस्तावक अधिकारी (कोड तथा नाम)	
4.	मांग संख्या	
5.	मुख्य शीर्ष	
6.	उप मुख्य शीर्ष	
7.	लघु शीर्ष	
8.	मतदेय / भारित(जो लागू हो उसका कोड भरें)	
9	आयोजना/आयोजनेत्तर(जो लागू हो उसका कोड भरें)	
9.1	आयोजना है, तो सेगमेंट कोड	
9.2	आयोजना है, तो विकासशीर्ष कोड	
9.3	योजना कोड	
9.4	योजना का नाम -(अधिकतम 20 शब्दों में)	

--

10.	योजना का प्रकार -(जो लागू हो उसका कोड दें)	
	नवीन/निरंतर/नवीन तथा निरंतर /जिला/राज्य स्तरीय	
	मूलभूत सेवायें/ईयर मार्कड (कोड तथा नाम)	
11.	यदि जिला स्तरीय हो तब जिला का कोड तथा नाम	

(राशि रूपयों में)

उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विवरण	आवश्यक व्यय	कुल अनुदान की राशि

11.	आकस्मिक निधि से लिया गया अग्रिम	
12.1	बाह्य स्रोतों से प्राप्त - सहायता/ऋण(आंकडे भरें)	
12.2	स्रोत (केन्द्र/नाबार्ड/एल.आई.सी./विदेशी सदस्यता/अन्य	

13.	यदि बचत द्वारा हो तो कृपया पूर्ण विवरण निम्नानुसार दें	
13.1	पुनर्विनियोजन/समपर्ण/बचत की मांग संख्या	
13.2	पुनर्विनियोजन/समपर्ण/बचत की मुख्य शीर्ष	
13.3	आयोजना / आयोजनेत्तर	
13.4	मतदेय / भरित	
13.5	बचत की राशि	
13.6	बजट द्वारा उपलब्ध आवंटन	

(संक्षेपिका का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में लिखें)